



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18122021-231986
CG-DL-E-18122021-231986

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4909]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 17, 2021/अग्रहायण 26, 1943

No. 4909]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 17, 2021/AGRAHAYANA 26, 1943

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 दिसम्बर, 2021

का.आ. 5300(अ).—जबकि, भारत सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि मध्य प्रदेश राज्य में हजीरा—विजयपुर—जगदीशपुर — नैचुरल गैस पाइपलाइन एवं स्पर पाइपलाइन के विजयपुर—ओरैया — पाइपलाइन खंड के माध्यम से प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए मेसेर्स गेल (इंडिया) लिमिटेड द्वारा एक पाइप लाइन बिछाई जानी चाहिए;

और भारत सरकार को उक्त पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें उक्त पाइप लाइन बिछाए जाने का प्रस्ताव है और जो इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

अतः अब, भारत सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में अपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत के राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियाँ साधारण जनता को उपलब्ध कर दी जाती हैं, 21 दिन के भीतर, भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाए जाने की संबंध में, सक्षम प्राधिकारी, मध्य प्रदेश राज्य मेसेर्स गेल (इंडिया) लिमिटेड, को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा।

**हजीरा — विजयपुर—जगदीशपुर (एच वी जे) गैस पाइपलाइन
खण्ड—विजयपुर से औरैया
अनुसूची**

राज्य — मध्यप्रदेश

जिला	तहसील	ग्राम	सर्वेक्षण संख्या	क्षेत्रफल (हे./आर/वर्ग मीटर)
शिवपुरी	करैरा	बम्हारी	2341	0-00-20
			2342	0-30-66
			2343	0-12-56
			2344	0-00-20
			2352	0-09-61
			2353	0-22-22
			2355	0-21-77

[फा. सं. एल-14014/183/2021-जीपी-II/(ई- 40745)]

राकेश मिश्रा, अवर सचिव

**MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS
NOTIFICATION**

New Delhi, the 16th December, 2021

S.O. 5300(E).— Whereas it appears to the Government Of India that it is necessary in public interest that for transportation of natural gas through Vijaipur - Auraiya Pipeline Section of Hazira-Vijaipur- Jagdishpur Natural Gas Pipeline and Spur Pipeline in the State of Madhya pradesh a Pipeline should be laid by M/s. GAIL (India) Limited;

And, whereas it appears to Government of India that for the purpose of laying the said pipeline, it is necessary to acquire the Right of User in the land under which the said pipeline is proposed to be laid and which is described in the Schedule annexed to this notification;

Now, therefore, in exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962, (50 of 1962) Government of India hereby declares its intention to acquire the Right of User therein;

Any person interested in the land described in the said Schedule may, within twenty one days from the date of which the copies of the notification issued under sub-section (1) of Section 3 of the said Act, as published in the Gazette of India are made available to the general public, object in writing to the acquisition of the Right of User therein for laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, State of Madhya Pradesh, M/s GAIL (India) Limited.

**Hazira – Vijaipur – Jagdishpur (HVJ) Gas Pipeline
Section - Vijaypur - Auraiya
SCHEDULE**

State – Madhya Pradesh

District	Tehsil	Village	Survey No.	Area (Ha.- Are- Sqm)
SHIVPURI	KARERA	BAMHARI	2341	0-00-20
			2342	0-30-66
			2343	0-12-56
			2344	0-00-20
			2352	0-09-61
			2353	0-22-22
			2355	0-21-77

[F. No. L-14014/183/2021-GP-II/ (E-40745)]

RAKESH MISHRA, Under Secy.